

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक-3034 / FP/UK/ROAD/8893/2014 : देहरादून: दिनांक:

फरवरी, 2018
03 मार्च

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल में भोनाबागी चवालखेत डाण्डा नई टिहरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.575 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/54/2015/एफ0सी0/417 दिनांक 09-06-2017

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या अपने पत्रांक 1520/12-1(2) दिनांक 09-02-2018 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्नप्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.15 है0 ग्राम बुडोगी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु देय धनराशि रू0 7,97,996.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 3.15 है0 ग्राम बुडोगी सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया जा चुका है। म्यूटेशन की गयी भूमि के अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्नक-1)
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 10,34,775.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रू0 18,32,771.00 के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ सम्भव होगा सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता के व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करना चाहें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(विनीत कुमार पांगती)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :- 3034 / FP/UK/ROAD/8893/2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा, टिहरी गढ़वाल।

(विनीत कुमार पांगती)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी